

23<sup>3</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली के लिए पत्रावली के लिए  
19-4-18 को पत्रावली

19<sup>4</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली के लिए पत्रावली के लिए  
28-5-18 को पत्रावली

28<sup>5</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केन्द्र लाडीकला  
में पेश हुई। मूल वाद निस्तारण हो चुका है।  
अतः हाजिरी में कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं  
होने से खारिज की जाती है।

श्री  
अध्यक्ष  
रीठ पत्र कार्यालय  
एव उच्च न्यायालय कार्यालय  
रोपड़